पत्रांक- 171/ख0   दिनांक-07-06-2020

कार्यालय जनपद न्यायाधीश, गाजीपुर

आदेश

जिलाधिकारी, गाजीपुर के पत्रांक संख्या 4761/वै0स0/2020 दिनांकित 07–06–2020 के माध्यम से यह आख्या प्राप्त हुई कि मुहल्ला जफरपुरा, वार्ड नंबर–3, नगर पालिका परिषद मुहम्मदाबाद, जिला गाजीपुर में कोरोना पाजीटिव पाये गये व्यक्ति के घर से दीवानी न्यायालय की दूरी 250 मीटर से कम है, जो कंटेनमेंट जोन में आता है। अर्थात वाह्य स्थित न्यायालय मुहम्मदाबाद, गाजीपुर उक्त आख्या के अनुसार कंटेनमेंट जोन में होना पाया जाता है।

माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के पत्रांक 1117/LXXXVII-CPC/e-Courts/Allahabad/Dated 03 June, 2020 के द्वारा न्यायालय खोलने के सम्बन्ध में दी गयी गाईडलाईन के पैरा–14 में इस बात का उल्लेख किया गया है कि यदि कोई न्यायालय परिसर कंटेनमेंट जोन में आता है तो वहॉ का न्यायालय कंटेनमेंट जोन की अवधि तक के लिए बंद रहेगा।

अतः माननीय न्यायालय के उक्त निर्देश के अधीन वाह्य स्थित न्यायालय मुहम्मदाबाद गाजीपुर का न्यायालय कंटेनमेंट जोन में होने के कारण अग्रिम आदेश तक बंद किया जाता है। कंटेनमेंट जोन की अवधि समाप्त होने की सूचना जिला प्रशासन से प्राप्त होने पर, संबंधित न्यायालय को खोलने के बारे में सूचित किया जाएगा।

इस आदेश की एक प्रति जिला मजिस्ट्रेट, गाजीपुर, पुलिस अधीक्षक, गाजीपुर, मुख्य चिकित्साधिकारी, गाजीपुर, सिविल जज जूनियर डिवीजन मुहम्मदाबाद, गाजीपुर तथा जनपद गाजीपुर के समस्त बार एसोसियेशन के अध्यक्ष/महासचिव को अविलम्ब भेजी जाए।

साथ ही आदेश की एक प्रति नोडल आफिसर कम्प्यूटर, जनपद न्यायालय गाजीपुर को इस आशय से प्रषित की वे इसे जनपद न्यायालय के वेवसाईट पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें एवं आदेश की एक प्रति सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, गाजीपुर को इस आशय से प्रेषित की जाए कि वे इसका प्रकाशन दैनिक समाचारपत्रों में कराना सुनिश्चित करें।

Raghvendra 7/6/20

जनपद न्यायाधीश,
गाजीपुर।

जनपद न्यायाधीश
गाजीपुर

दिनांक : जून 07, 2020

Scanned with CamScanner